

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 10/3/2006/1/9

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 2014

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश शासन

विषय:- शासन के सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य किए जाने बाबत।

संदर्भ:- विभाग का समसंख्यक जापन क्रमांक एफ 10-3/2006/1/9 दिनांक 6-2-2006

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 06.02.2006 को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए राज्य शासन के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी करता है :-


1. सभी शासकीय विभागों एवं कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य शासन द्वारा अपनी एजेन्सियों के माध्यम से आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए नियोजित प्रयास किये जायेंगे। विभाग/कार्यालय अपनी आवश्यकतानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 103 दिनांक 15/01/2014 के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

यह परिपत्र सभी विभागों एवं जिला कलेक्टरों को प्रेषित किया गया है तथा इसमें प्रशिक्षण के प्रकार, प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण की विषय वस्तु आदि के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गए हैं। ~~यसका कि दुबारा संदर्भ हेतु संलग्न है।~~

3. संभाग/जिला स्तर पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्तमान में इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मन्दसौर, रीवा, सागर, मुरैना, शहडोल, छतरपुर, होशंगाबाद, सिवनी, गुना, खण्डवा एवं देवास जिलों में क्षेत्रीय सूचना प्रौद्योगिकी दक्षतावर्धन केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है जिनका संचालन प्रारम्भ हो चुका है। इन जिलों में पदस्थ अथवा इन जिलों के समीपस्थ जिलों में पदस्थ शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण इन दक्षता संवर्धन केन्द्रों के माध्यम से कराया जा सकता है।
4. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त राज्य स्तर पर आरसीव्हीपी प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल स्थित कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, राज्य सूचना विलान केन्द्र (एनआईसी) विन्ध्याचल भवन बेसमेंट तल, भोपाल एवं तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विभाग की ऐजेन्सी Crisp द्वारा भी शासकीय विभागों एवं कार्यालयों के अनुरोध पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं। विभाग/कार्यालय इन आई.टी. प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
5. आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं अन्य आई.टी. प्रशिक्षणों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों / जिलों द्वारा संचालित की जाने वाली ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में प्रयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाने हेतु संबंधित विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/प्रशासन अकादमी/एनआईसी को एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण की स्थिति में संबंधित जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकेगा। तदनुषांग परस्पर सहमति से प्रशिक्षण कैलेण्डर के आधार पर निर्धारित तिथियों पर उक्त प्रशिक्षण कराया जा सकेगा।

6. कम्प्यूटर प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। जिन विभागों/कार्यालयों में क्रियावित ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के अंतर्गत यदि पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के द्वारा निजी भागीदार/सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति की गई हो तथा यदि उक्त परियोजना के संबंध में आई.टी. प्रशिक्षण प्रदान करना निजी भागीदार/सिस्टम इंटीग्रेटर की जिम्मेदारी हो तो ऐसी स्थिति में शासकीय संस्थानों में प्रशिक्षण आयोजित करने पर प्रशिक्षण व्यय निजी भागीदार/सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा वहन किया जायेगा। निजी भागीदार/सिस्टम इंटीग्रेटर स्वयं के व्यय से एवं संबंधित विभाग की सहमति से प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्यत्र भी आयोजित कर सकता है।

उपरोक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।


(के.सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग